राजस्थान सरकार
वन विभाग

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा।।

(Nayapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)
दूरभाष नं0–0744-2322747

क्रमांकः–एफ( )उवसं/तक./ 2022/729 दिनांकः 24.1.2023

निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषयः– **Permission for Running of existing gaushala in forest land, lakhawa distt, kota Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/others/25462/2017)**

प्रसंगः– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के पत्राक 4113–14 दिनांक 06.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषायांतर्गत निवेदन है कि उक्त संबंध में आप द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर प्रेषित है–

क्र.स.	आक्षेप	पालना
1	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में कार्य योजना प्रसतावों का विवरण अंकित नही किया गया है।	अंकित कर दिया गया है।
2	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का होना पाया गया है जबकि उप वन संरक्षक स्थल निरिक्षण रिपार्ट में उल्लंघन नही होना पाया गया है इस विरोधाभास को स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है वर्तमान में गौशाला संचालित है अतः पार्ट।। के बिन्दु 11एवं 12 की पूर्ती किया जाना प्रस्तावित है।	पूर्ति कर दी गई हैं।
3	वन संरक्षक अधिनियम 1980 के उल्लंघन की रिपार्ट एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करावे।	प्रत्यावर्तित वनभूमि यूर्जर ऐजन्सी को जिला कलेक्टर द्वारा 20 वर्ष के लिए आंवटित की गई थी परन्तु नोटिफिकेशन के अनुसार यह वनभूमि हैं।इस क्रंम में प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एस. बी.सि.रि.प.संख्या 19970/2013 प्रस्तुत की गई जिसके क्रंम में पारित निर्णय की पालना में यूर्जर एजेन्सी द्वारा प्रात्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत कियें जाने से भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही हैं।
4	प्रस्ताव में 4 पेच में गैर वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है जिसकी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एकजाई बनायी गयी है जबकि इनकि पृथक पृथक योजना बनायी जानी प्रस्तावीत है।	पृथक–पृथक योजना बनाई जाकर संलग्न है।
5	प्रस्ताव में प्राप्त गैर वन भूमि के पृथक पृथक स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किये गये है।	पृथक–पृथक योजना बनाई जाकर संलग्न है।
6	प्रस्ताव प्राप्त गैर वन भूमि में वन विभाग की सीमाएँ ओवरलेपिग हो रही जिसका उप वन संरक्षक के स्तर पर परीक्षण करवाया जावे।	प्रस्ताव में संलग्न गैर वन भूमि वन विभाग कि सीमा के साथ लगी हुई है संलग्न डी जी पी एस खसरा मेप में उक्त खसरो को दर्शाया गया है तथा साथ ही वन भूमि कि जताबन्दी भी संलग्न कर दी गई है

7	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रोजेक्ट कॉस्ट शुन्य दर्शायी गयी है जबकि प्रस्ताव में सम्मिलित एन0पी0वी0 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना दण्डात्मक राशि किस प्रकार जमा की जावेगी स्पष्ट नही है।	एन पी वी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, दण्डातमक राशि का भुगतान गौशाला द्वारा किया जायेगा जिसके लिए युजर एजेन्सी ने अन्डरटेकिन प्रस्तुत कि है
8	प्रस्ताव मे जिला कलेक्टर के आदेशानुसार 4.69 है0 का आवंटन किया गया था जिसे जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 10.06.2015 को निरस्त कर दिया गया। प्रस्ताव में 2.48 है0 भूमि भी सम्मिलित है जो किस प्रकार से प्रस्ताव के साथ जुडी हुई है।	गायो कि कुल संख्या के अनुपात में आवन्टित भूमि (4.69है0) कम होने के कारण गौशाला विकाश कार्य हेतु 2.48 है0 गैर वन भूमि क्रय कि गई है जिसके प्रत्रादी प्रस्ताव के साथ संलग्न है
9	प्रस्ताव के साथ संलग्न के0 एम0 एल0 फाइल का क्षेत्र प्रत्यावर्तित वन भूमि के बराबर नही है।	के0एम0एल0 फाईल सही कर दिया है
10	उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में 228 वृक्षो का विदोहन होना है अथवा नही स्पष्ट नही है।	प्रस्ताव में शामिल 228 पैडो का विदोहन नही किया जायेगा इस संबंध में गौशाला द्वारा अन्डरटेकिग संलग्न हैं।
11	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में किस रक्षित वनखण्ड में वन भूमि प्रत्यावर्तित की जा रही है स्पष्ट नही किया गया है। एवं उसकी प्रति भी संलग्न नही की गयी है।	प्रस्तावित स्थल वनखण्ड लखावा ए (रक्षित) में स्थित है जिसकी नोटिफिकेशन कि प्रति संलग्न है
12	यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो मुख्यतः शपथ पत्र में उल्लेखित खसरा प्रत्यावर्तित वन भूमि से संबंधित नही है।	शपथ पत्र में प्रत्यावर्तित वन भूमि के पूराने ख0 न0 अंकित कर दिये गये थे अब उनके स्थान पर संशोधीत शपथ–पत्र एवं मिलान क्षेत्रफल कि प्रति संलग्न है

उपवन संरक्षक
कोटा